न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 858 सन 2020
अनवान :–

1. सुरेश पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
3. दिवेश पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
4. संजु पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
5. गुडी पत्नी स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
6. विक्रम पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
7. लक्षमी पुत्री स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 4/4 की कुल 9.0800हैक भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 7 ,8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व शिशपाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ,5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 7, 8 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 7 ,8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व शिशपाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के नाम से दर्ज है वादी के दादा इन्द्राज पि0मु0 सुलतान के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,7 ,8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक्‍ भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज हे में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 4/4 की कुल 9.0800हैक्‍ भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेश पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
3. दिवेश पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
4. संजु पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
5. गुडी पत्नी स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
6. विक्रम पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
7. लक्ष्मी पुत्री स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 858 सन 2020 निर्णय दिनांक– 24/3/21

आज यह प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री दिनांक 24.03.2021 में रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा भूमि दर्ज है के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की 21.3340 हैक अंकित की जाती है शेष डिक्री यथावत रहेगी व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुरेश पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
2. शिशपाल पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
3. दिवेश पुत्र शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
4. संजु पुत्री शिशपाल जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
5. गुडी पत्नी स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
6. विक्रम पुत्र स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
7. लक्षमी पुत्री स्व रोहिताश जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन सुरपुरा तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 858 सन 2020 निर्णय दिनांक– 24/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 55/53 की कुल 21.3340हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 19/20 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 1/2 हिस्सा एवं रोही मौजा सुरपुरा के खाता संख्या 4/4 की कुल 9.0800हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner